

३३. यदि आपदा प्रभावित किसी परिवार का घर ऐसी भूमि पर बना है, जो कि बेनाप भूमि है अथवा भूमि परिवार के मुखिया के नाम पर नहीं है, ऐसे प्रकरण में निम्नलिखित शर्त पूर्ण होने पर पुनर्वास हेतु धनराशि दिये जाने की कार्यवाही की जाए :—
१. सम्बन्धित भूमि पर बना हुआ घर 10 वर्ष या उससे अधिक पूर्व का होना चाहिए।
 २. भूमि एवं भवन को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।
- ४— यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति से जारी किया जा रहा है।
- ५— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए आपदा प्रभावित ग्रामों/परिवारों के पुनर्वास प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नवदीय,

(एक०ए० नुरुगेशन)
सचिव।

संख्या— ४४६/ XVIII-(B-2)/21-१६(१) पुनर्वास नीति/2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
३. निजी सचिव, मा० आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
४. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
५. संयुक्त सचिव, (डी०ए० डीविजन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
६. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
७. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
८. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, य००एस०डी०एम०ए०, सचिवालय परिसर।
९. नहानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
१०. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
११. व्यय एवं वित्त नियंत्रण अनुभाग—५, उत्तराखण्ड शासन।
१२. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
१३. गार्ड फाइल।

३१/१२/२०१०
(एक०ए० नुरुगेशन)
सचिव।